

# डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली  
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

## उनवान

दीनदयाल शर्मा पुत्र घीस्या उम्र 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी दुब्बेपाडा हिण्डौन सिटी जिला  
करौली (राज०) \_\_\_\_\_ वादी

## बनाम


1. कैलाश चंद
  2. बालकृष्ण
  3. महेशचन्द
  4. रमेशचन्द
- पिस. बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी दुब्बेपाडा  
हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राजस्थान)
5. गायत्री पुत्री बाबूलाल पत्नि रजनीकांत लवानिया जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय  
पाडा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
  6. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी \_\_\_\_\_ प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा,

मुकदमा नं० 472/2021


एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट मिन जानिव मुदई रूबरू ..... मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 10147/2453/1 रकबा 0.49 है०, 2515/1/1 रकबा 0.32 है०, 2678/1/1 रकबा 0.0550 है०, 2431/1/1 रकबा 0.31 है०, 2677/1/1 रकबा 0.0850 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी दीनदयाल पुत्र घीस्या जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 10147/2453/2 रकबा 0.49 है०, 2515/1/2 रकबा 0.32 है०, 2677/1/2 रकबा 0.0850 है०, 2678/1/2 रकबा 0.0550 है०, 2431/1/2 रकबा 0.31 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का प्रतिवादी कैलाश चन्द पुत्र बाबूलाल हि०

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

1/5, बालकृष्ण पुत्र बाबूलाल हि0 1/5, महेश चन्द पुत्र बाबूलाल हि0 1/5, रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल हि0 1/5 जाति ब्राह्मण सा0 हिण्डौन, गायत्री पुत्री बाबूलाल पत्नि रजनीकांत जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाडा नंदबई तहसील नंदबई जिला भरतपर को हि0 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 10147/2453/1 रकबा 0.49 है0, 2515/1/1 रकबा 0.32 है0, 2678/1/1 रकबा 0.0550 है0, 2431/1/1 रकबा 0.31 है0, 2677/1/1 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के उपयोग उपभोक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें, वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 4/9/25 को यह डिक्री जारी की गई।

  
( हेमराज गुर्जर ) 4/9/25  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 472/2021

तारीख रजू:- 16.12.2021

जीसीएमएस नं. 2021/607

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

दीनदयाल शर्मा पुत्र घीस्या उम्र 70 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी दुब्बेपाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज०) वादी

## बनाम

1. कैलाश चंद
  2. बालकृष्ण
  3. महेशचन्द
  4. रमेशचन्द
- पिस. बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी दुब्बेपाडा  
हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राजस्थान)
5. गायत्री पुत्री बाबूलाल पत्नि रजनीकांत लवानिया जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाडा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर।
  6. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी ———प्रतिवादीगण

दावा बावत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:- 1. हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट वादी

## निर्णय

दिनांक :-

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी का दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.06.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमिश्नर 500/-रूपया फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि कस्बा हिण्डौन आराजी खाता संख्या 738 में खसरा नम्बर 10145/2453/2453 रकबा 0.98 है०, 2431/1 रकबा 0.62 है०, 2515/1 रकबा 0.64 है०, 2677/1 रकबा 0.17 है०, 2678/1 रकबा 0.11 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 2.52 है० में वादी दीनदयाल पुत्र घीस्या जाति ब्राह्मण हि० 1/2 सा. ग्राम खातेदार तथा प्रतिवादीगण कैलाश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण हि० 1/10 सा. ग्राम खातेदार, बालकृष्ण पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण हि० 1/10 सा. ग्राम खातेदार, महेश पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण हि० 1/10 सा. ग्राम खातेदार, रमेश पुत्र बाबूलाल जाति

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

ब्राह्मण हि० १/१० सा. ग्राम खातेदार, गायत्री पुत्री बाबूलाल पत्नि रजनीकांत जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाडा नंदबई तहसील नंदबई जिला भरतपुर हि० १/१० सा. ग्राम खातेदार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगणसा की मौजूदगी में मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी कब्जे के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बंटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अंकित करें।


मुताविक आदेश तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./२०२५/२०८३ दिनांक ३०. ०७.२०२५ से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर १०१४७/२४५३/१ रकबा ०.४९ है०, २५१५/१/१ रकबा ०.३२ है०, २६७८/१/१ रकबा ०.०५५० है०, २४३१/१/१ रकबा ०.३१ है०, २६७७/१/१ रकबा ०.०८५० है० कुल किता ५ कुल रकबा १.२६ है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी दीनदयाल पुत्र घीस्या जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन के हिस्से में आया है तथा खसरा नम्बर १०१४७/२४५३/१ रकबा ०.४९ है०, २५१५/१/२ रकबा ०.३२ है०, २६७७/१/१ रकबा ०.०८५० है०, २६७८/१/१ रकबा ०.०५५० है०, २४३१/१/२ रकबा ०.३१ है०, कुल किता ५ कुल रकबा १.२६ है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रतिवादी कैलाश चन्द पुत्र बाबूलाल हि० १/५, गायत्री पुत्री बाबूलाल हि० १/५, बालकृष्ण पुत्र बाबूलाल हि० १/५, महेश चन्द पुत्र बाबूलाल हि० १/५, रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल हि० १/५ जाति ब्राह्मण सा० हिण्डौन खातेदार के हिस्से में आया है।


उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं। इसलिए वादी का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर १०१४७/२४५३/१ रकबा ०.४९ है०, २५१५/१/१ रकबा ०.३२ है०,

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

2678/1/1 रकबा 0.0550 है0, 2431/1/1 रकबा 0.31 है0, 2677/1/1 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादी दीनदयाल पुत्र घीस्या जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 10147/2453/2 रकबा 0.49 है0, 2515/1/2 रकबा 0.32 है0, 2677/1/2 रकबा 0.0850 है0, 2678/1/2 रकबा 0.0550 है0, 2431/1/2 रकबा 0.31 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का प्रतिवादी कैलाश चन्द पुत्र बाबूलाल हि0 1/5, बालकृष्ण पुत्र बाबूलाल हि0 1/5, महेश चन्द पुत्र बाबूलाल हि0 1/5, रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल हि0 1/5 जाति ब्राह्मण सा0 हिण्डौन, गायत्री पुत्री बाबूलाल पत्नि रजनीकांत जाति ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाडा नंदबई तहसील नंदबई जिला भरतपर को हि0 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 10147/2453/1 रकबा 0.49 है0, 2515/1/1 रकबा 0.32 है0, 2678/1/1 रकबा 0.0550 है0, 2431/1/1 रकबा 0.31 है0, 2677/1/1 रकबा 0.0850 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के उपयोग उपभोक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें, वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(हिमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली